संख्या :205/XXVII (10)/2018-27(8)2017

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1— समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2— समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग—10 देहरादून : दिनांक : 15, अक्टूबर, 2018

विषय :सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में दिनांक 01.01.2016 से पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 267/45/XXVII/2016 दिनांक 30.12.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से दिनांक 01.01.2016 से पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में किया गया।

2. केन्द्र सरकार के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 38/37/2016—P&PW (A), दिनांक 12.05.2017 में यह व्यवस्था की गयी है कि दिनांक 01.01.2016 से पूर्व के सेवानिवृत्त कार्मिक के द्वारा सेवानिवृत्त के समय जिस वेतनमान में अन्तिम वेतन आहरित किया है, उसका प्रकल्पित रूप से पुनरीक्षण, उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि के उपरान्त के वेतन आयोगों की संस्तुतियों के अनुसार किया जायेगा और इस प्रकार दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित प्रकल्पित वेतन के आधार पर पेशन/पारिवारिक पेंशन का निर्धारण किया जायेगा। केन्द्र सरकार के कार्यालय—ज्ञाप दिनांक 04.08.2016 की व्यवस्थानुसार, दिनांक 01.01.2016 से पूर्व की पेंशन/पारिवारिक पेंशन को 2.57 से गुणा करने पर संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन तथा दिनांक 12.05.2017 के कार्यालय ज्ञाप में दी गयी व्यवस्थानुसार दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से पुनरीक्षित वेतन के आधार पर निर्धारित पेंशन/पारिवारिक पेंशन में से जो अधिक हो, वह दिनांक 01.1.2016 को पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के रूप में अनुमन्य होगी। साथ ही, पेंशनरों की पेंशन के पुनरीक्षण हेतु विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के लिये पेंशनरों से किसी प्रकार की सूचना अथवा आवेदन प्राप्त किये जाने की आवश्यकता नहीं है। सम्बन्धित विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों द्वारा शासनादेशों के अधीन कार्यवाही स्वतः तत्काल की जायेगी।

क्रमशः पृष्ठ—2

3. उक्तानुसार पेंशनरों की पेंशन के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 38/37/2016–P&PW (A), दिनांक 06, जुलाई, 2017 द्वारा 01.01.1986, 01.01.1996, 01.01.2006 व 01.01.2016 तक विभिन्न वेतनमानों में प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण के आधार पर दिनांक 01.01.2016 से निर्धारित होने वाली पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन की गणना के सम्बन्ध में वेतन प्रक्रमवार तालिकायें निर्गत की हैं।

4. अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01.01.2016 से पूर्व के सेवानिवृत्त राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन का पुनरीक्षण भारत सरकार के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 06.07.2017 के साथ संलग्न तालिकाओं के आधार पर कार्यालय ज्ञाप दिनांक 12.05.2017 में दी गई व्यवस्था के अनुसार पेशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण हेतु पेंशनर से सम्बन्धित विवरण संलग्न प्रारूप पर भर कर एवं उसे प्रमाणित करते हुये सम्बन्धित कोषागार को पेंशन निर्धारण हेतु प्रेषित किया जायेगा। सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष का उत्तर दायित्व होगा कि समस्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के उक्त विवरण दिनांक 31.03.2019 तक प्रत्येक दशा में कोषागार को प्रेषित कर दिया जाय।

5. प्रकल्पित आधार पर भिन्न–भिन्न वेतनमानों में वेतन निर्धारण वर्तमान में सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा कोषागार पोर्टल से संलग्न प्रारूप पर ऑनलाईन करते हुये वेतन निर्धारण सम्बन्धी आदेश पेंशन भुगतानकर्ता जनपद कोषागार को प्रेषित किये जायेंगे। तत्पश्चात कोषागार/उपकोषागार द्वारा सम्बन्धित पेंशनर के मूल पी0पी0ओ0 पर उक्तानुसार आंगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन को अंकित कर भुगतान किया जायेगा। पुनरीक्षित पेंशन का विवरण पेंशनर व पेंशन स्वीकृत अधिकारी को भी प्रेषित किया जायेगा।

6. इस शासनादेश के अनुसार प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण करते हुये दिनांक 01.01.2016 से पेंशन का पुनरीक्षण किये जाने पर कोई एरियर देय नहीं होगा तथा पुनरीक्षित पेंशन का भुगतान दिनांक 01.11.2018 से किया जायेगा।

**संलग्नकः– यथोक्त।**

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव, वित्त

क्रमशः पृष्ठ–3

शासनादेश संख्याः 205/XXVII(10)/2018/27(08)17 दिनांक 15.10.2018 का संलग्नक प्रारूप।

## पेंशनर का विवरण –

(a) जी0आर0डी0 संख्याः ................................ (b) बैक अकांउट नं0............................................

(c) पेंशनर का नामः.............................................(d) पेंशन का प्रकार.........(अधिवर्षता/पारिवारिक)

(e) पी0पी0ओ0 संख्याः..........................................(f) पद का नामः.................................................

(g) आहरण वितरण अधिकारी कोडः.........................(h) विभाग का नामः...........................................

(i) जन्म तिथिः..................................................(j) नियुक्ति की तिथिः.......................................

(k) सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथिः..............................(l) अर्ह सेवा अवधिः ...........वर्ष..........माह.........दिन

(m) पैन नं0:.....................................................(n) मोबाइल नं0:...............................................

(o) पारिवारिक पेंशनभोगी का नामः.........................(p) जन्म तिथि ................................................

(q) पैन नं0:.....................................................(r) मोबाइल नं0:...............................................

1. सेवानिवृत्ति की तिथि को वेतन/पेंशन –

(a) सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि को लागू वेतन आयोगः..........................................................

(b) वेतनमानः..................................................(c) वेतनः...............................................................

(d) मूल पेंशनः.................................................(e) पारिवारिक पेंशन(बढ़ी दर पर..........) तक.....

(f) पारिवारिक पेंशन(साधारण दर पर..........) से.........

2. प्रकल्पित वेतन के आधार पर संशोधित पेंशन –

| क0सं0 | विवरण | प्रकल्पित वेतन | पेंशन |
|---|---|---|---|
| 1 | चौथा वेतन आयोग | | |
| 2 | पॉचवा वेतन आयोग | | |
| 3 | छठा वेतन आयोग | | |
| 4 | सातवा वेतन आयोग | | |
| 5 | पारिवारिक पेंशन(बढ़ी दर पर) | | |
| 6 | पारिवारिक पेंशन(साधारण दर पर) | | |

विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष/आ0वि0अधि0
(हस्ताक्षर)

---

कोषागार प्रयोगार्थः

आई0डी:

लेखाँकार

स0कोषाधिकारी

मुख्य/वरिष्ठ/
कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी